FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

आज अदालत ——— उपखण्ड अधिकारी ——— मुकाम ——— चिड़ावा

——— महेन्द्र ——— बनाम ——— राज0 सरकार

किस्म मुकदमात ——— अ0 धारा 136 ——— नं. ——— 151 ——— सन् ——— 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
09.09.20	आज यह प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 बाद जाच रिपोर्ट पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया जावें। तहसीलदार चिड़ावा से रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहरीर जारी हो। तलबी अप्रार्थी हेतु प्रस्तुत तलवाने पर जरिये नोटिस नकल प्रार्थना पत्र भेजकर की जावें। मिसल बइन्तजार तलबी व रिपोर्ट हेतु दिनांक 21.09.2020 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा	
21/9/20	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान फरिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी आज दीगर कार्य में व्यस्त हैं। भ्रमण पर हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आमन्दा दिनांक 6-10-20 को पेश हो।	
6/10/20	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पर रिपोर्ट तहसीलदार चिड़ावा से प्राप्त हो चुकी है शामिल मिसल रहे। वकील प्रार्थी ने मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार चिड़ावा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि अप्रार्थी/ भूअभिलेख अधिकारी को आदेशित किया जावे कि उक्त कृषि भूमि खसरा नं० 293 रकबा 1.0400 हे० व खसरा नं० 294 रकबा 1.0600 हे० कुल खसरा 2 कुल रकबा 2.1000 हे० जिसमे प्रार्थी का हिस्सा 1/5 स्थित ग्राम चिड़ावा पटवार हल्का चिड़ावा में प्रार्थी का नाम भागाराम पुत्र उमराव के स्थान पर उसका सही व वास्तविक नाम महेन्द्र पुत्र उमराव, जाति-माली निवासी वार्ड नम्बर 2 गुगोजी की ढाणी चिड़ावा दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में संशोधन कर देवें। प्रकरण में रिपोर्ट तहसीलदार चिड़ावा से ली गई। तहसीलदार चिड़ावा ने रिपोर्ट पेश कर अंकित किया है, कि प्रार्थी की जमाबंदी संवत 20[illegible] 77 खाता सं० 231 में भागाराम पुत्र [illegible] जाति माली सन्देह खातेदार दर्ज है। लेकिन प्रार्थी का उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Chaudhary
Date: 2021.07.19 12:57:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

सही नाम संलग्न राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,
आधार कार्ड, बैंक खाता पास बुक और शपथ पत्र
मे महेन्द्र पुत्र उमराव है। प्रार्थी द्वारा संलग्न उपरोक्त
दस्तावेज और जांच अनुसार प्रार्थी का बचपन का
नाम चागाराम बोलते थे। अतः राजस्व रिकार्ड मे
चागाराम दर्ज हो गया था। प्रार्थी का नाम चागाराम
पुत्र उमराव गलत नाम के स्थान पर महेन्द्र पुत्र
उमराव दुरूस्त किया जाना उचित है। पत्रावली का
अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त
दस्तावेजात व रिपोर्ट तहसीलदार चिड़ावा के आधार
पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना
न्यायोचित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया
जाकर तहसीलदार चिड़ावा को आदेश दिया जाता
है कि कस्बा चिड़ावा की जमाबन्दी सम्वत्
2074-2077 के खाता सं० 231 खसरा नम्बर
293 रकबा 1.0400 है०, खसरा नम्बर 294 रकबा
1.0600 है० कुल खसरा-2 कुल रकबा 2.1000 है०
जिसमे 1/5 हिस्से मे प्रार्थी का नाम चागाराम
पुत्र उमराव के स्थान पर सही व वास्तविक नाम
महेन्द्र पुत्र उमराव दुरूस्त किया जाकर राजस्व
रिकार्ड मे अमल दरामद करे। तहसीलदार चिड़ावा
को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार
होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता
दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Chaudhary
Date: 2021.07.19 12:57:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner